सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 625 राँची, बुधवार, 8 भाद्र, 1938 (श०)

30 अगस्त, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

28 जून, 2017

कृपया पढ़ें :-

1. उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला का पत्रांक-528(ii)/म०को०, दिनांक 4 जुलाई, 2015 एवं पत्रांक-583(ii)/म०को०, दिनांक 23 जुलाई, 2016
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-9265, दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक-9921, दिनांक 19 नवम्बर, 2015

संख्या-5/आरोप-1-75/2014 का.-7591-- श्री बलदेव राज, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-326/03, गृह जिला- गिरिडीह), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला के विरूद्ध उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के पत्रांक-528(ii)/म०को०, दिनांक 4 जुलाई, 2015 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित किया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप है:-

आरोप संख्या-01. मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य में मार्ग निदेशिका के विपरीत फर्म को योजना का कार्य आवंटित करने में सहयोग करना- मेसर्स ब्रह्मानन्द फार्मर्स एण्ड रिसर्च सेन्टर, जमशेदपुर द्वारा गुमला जिला अंतर्गत गुमला, सिसई एवं भरनो प्रखंडों में औषधीय पौधा, सफेद मूसली एवं स्टीबिया की व्यवसायिक खेती के लिए दिये गये प्रस्ताव के आलोक में बिना भूमि सत्यापन के योजना की स्वीकृति एक निजी संस्था को प्रदान की गयी थी। मनरेगा की मार्गदर्शिका में औषधीय पौधा को वृक्षारोपण की श्रेणी में नहीं रखा गया है । श्री राज द्वारा योजना के संबंध में बिना जांच किये हुए 96.125 लाख रूपये की राशि विमुक्ति हेतु उपायुक्त, गुमला को अनुशंसा की गयी । जबकि उक्त योजन के लिए पूर्व में 90.10 लाख रूपये विमुक्त की गयी थी । साथ ही पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं रहने के बावजूद आपके द्वारा भूमि सत्यापन की आवश्यकता नहीं समझते हुए राशि विमुक्ति हेतु अनुशंसा अपनी टिप्पणी में की गयी ।

आरोप संख्या-02. मनरेगा के प्रावधानों के विपरीत वैसी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना, जो वृक्षारोपण की श्रेणी में नहीं आते हैं- मेसर्स ब्रह्मानन्द फार्मर्स एण्ड रिसर्च सेन्टर, जमशेदपुर को कुल 100 एकड़ भूखण्ड पर सिसई एवं भरनो प्रखंड में स्टीबिया की खेती हेतु कुल 244.00 लाख रूपये की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उक्त योजना में बिना भूमि सत्यापन के योजना की स्वीकृति आपके द्वारा अनुशंसा की गयी, जबकि उक्त योजना मनरेगा मार्ग-दर्शिका में ली जाने वाली योजनाओं की सूची में नहीं है । योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये हुए 122.00 लाख रूपये का चेक तैयार कर उपस्थापित किया जाना उचित नहीं है । नियमानुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही चेक निर्गत किया जाना चाहिए, परन्तु आपके द्वारा एक निजी संस्था को इतनी बड़ी राशि बिना पूर्व स्वीकृति के विमुक्ति हेतु चेक तैयार कर उपस्थापित किया गया, यह प्रक्रिया उचित नहीं है । पुनः संचिका के पृ० 43 एवं 44 पर आपके द्वारा पूर्व में विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना द्वितीय किस्त के रूप में 97.60 लाख रूपये विमुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है । यह वित्तीय प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है ।

आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची के ज्ञापांक-155/वि० दिनांक 28 जून, 2008 द्वारा गठित जाँच दल के द्वारा योजना स्थल पर कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया । उक्त जाँच में पाया गया कि 100 एकड़ भूमि के लिए स्वीकृत कार्य योजना के विरूद्ध मात्र 22.18 एकड़ पर ही कार्य कराया गया है । इस प्रकार आपके द्वारा एक निजी संस्था को बड़ी राशि

के गबन करने में सहयोग प्रदान किया गया । आपका उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार संहिता 3¼III½ के प्रतिकूल है ।

आरोप संख्या-03. योजना के विरूद्ध बिना भूमि सत्यापन कराये योजना कार्यान्वयन हेतु एक बड़ी राशि अग्रिम के रूप में भुगतान किया जाना- श्री राज के द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को जेट्रोफा, फलदार वृक्षारोपण एवं मिश्रित फलदार वृक्षारोपण हेतु एक बड़ी राशि की विमुक्ति बिना विधिवत जाँच के स्वीकृत की गयी । संस्थाओं द्वारा समर्पित प्रस्ताव की स्वीकृति के पूर्व प्रस्ताव के भूमि की उपलब्धता एवं भूमि सत्यापन का कार्य होना चाहिए था । परंतु इनके द्वारा अनदेखी करते हुए योजना की स्वीकृति में अनावश्यक रूचि लेते हुए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारी को भेजा गया है, जबकि उक्त कार्य आपको आवंटित कार्यों की तालिका में नहीं है । जट्रोफा वृक्षारोपण की योजना मनरेगा के मार्ग-दर्शिका में लिये जाने वाले कार्यों की सूची में नहीं रहने के बावजूद योजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करना तथा प्रस्ताव पर बिना किसी जाँच पड़ताल के उसे स्वीकृत करना तथा उसके विरूद्ध प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त एवं किसी-किसी स्वयंसेवी संस्था को तृतीय किस्त तक की राशि की विमुक्ति करना, निदेशक, लेखा प्रशासन के पद पर पदस्थापित होने के कारण आपके लिये उचित नहीं था । स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन में भी निदेशों का उल्लंघन करते हुए बिना किसी प्रक्रिया का पालन करते हुए स्वयंसेवी संस्था का चयन करना एवं एक बड़ी राशि विमुक्त करना सरकारी राशि का दुरूपयोग एवं गबन में संस्थाओं को सहयोग प्रदान किया जाना है । यहाँ यह स्पष्ट होता है कि स्वयंसेवी संस्थाओं एवं निजी संस्था द्वारा द्वितीय किस्त की मांग किये जाने पर बिना पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव देना तथा बिना उच्चाधिकारी के आदेश के चेक तैयार कर राशि विमुक्ति हेतु संचिका उपस्थापित करना आपकी कार्यशैली को प्रदर्शित करता है । उपरोक्त कारणों से भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना की राशि का गबन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया गया है । इसमें आपकी सहभागिता होने के कारण सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ है ।

उक्त आरोपों हेतु पेंशन नियमावली के नियम-139(ग) के तहत विभागीय पत्रांक-9265, दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 द्वारा श्री राज से स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसके अनुपालन में श्री राज के पत्र, दिनांक 2 नवम्बर, 2015 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण निम्नवत् है:-

आरोप संख्या-01 पर स्पष्टीकरण- श्री राज का कहना है कि संबंधित योजना का चयन, प्रथम किस्त के राशि की विमुक्ति की अनुशंसा तथा चेक का उपस्थापन उनके द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया है । इस संबंध में सफेद मुसली से संबंधित संचिका की छायाप्रति के पृ० सं०-2 एवं 3 का अवलोकन किया

जा सकता है । संबंधित संचिका पर तत्कालीन निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम एवं उप विकास आयुक्त के अनुशंसा पर तत्कालीन उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला द्वारा योजना की स्वीकृति दी गयी है । तत्पश्चात् उप विकास आयुक्त एवं उपायुक्त द्वारा संयुक्त रूप से 90.10 लाख रूपये का चेक हस्ताक्षरित कर मेसर्स ब्रह्मानन्द, जमशेदपुर को दिया गया। उपरोक्त अधिकारियों द्वारा योजना का चयन एवं प्रथम किस्त की राशि विमुक्ति के पहले सत्यापन एवं मनरेगा मार्गदर्शिका के अनुरूपता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था । द्वितीय किस्त की विमुक्ति के संबंध में इनका कहना है कि उक्त योजना पर उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त की राशि विमुक्त की जा चुकी थी । अतएव भूमि सत्यापन के प्रश्न पर द्वितीय किस्त हेतु अनुशंसा टिप्पणी न करना उचित प्रतीत नहीं होता । जहाँ तक प्रगति प्रतिवेदन का प्रश्न है, लेखा पदाधिकारी, गुमला के अनुशंसा के साथ-साथ उप विकास आयुक्त द्वारा विमर्श में उन्हें बताया गया है कि उनके द्वारा योजना को देखी गयी है, जो प्रगति पर एवं संतोषजनक है । जिसकी पुष्टि उनके द्वारा उपायुक्त को की गयी अनुशंसा में की गयी है । उनके द्वारा एक सप्ताह के समय सीमा के अंदर प्रगति प्रतिवेदन देने एवं 25 प्रतिशत राशि रोकने के शर्त पर मात्र विमुक्ति टिप्पणी की गयी थी । अंतिम किस्त की स्वीकृति के पूर्व उपायुक्त महोदया को भी प्रगति प्रतिवेदन पर आश्वस्त हो लेना चाहिए था ।

आरोप संख्या-02 पर स्पष्टीकरण- श्री राज का कहना है कि स्पष्टीकरण के साथ संलग्न संचिका पार्ट-2(स्टीबिया) के छायाप्रति के पृ०सं०-3 एवं 4 का अवलोकन करने से स्पष्ट होगा कि 244.00 लाख रूपये के योजना की स्वीकृति एवं 122.00 लाख रूपये के प्रथम किस्त हेतु भुगतान की अनुशंसा तत्कालीन निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम एवं उप विकास आयुक्त द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में उपायुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है । जहाँ तक चेक उपस्थापन का प्रश्न है, न तो उनके द्वारा चेक पर हस्ताक्षर किया जाता था और न ही चेकबुक उनके अभिरक्षण में होता था। इसकी पुष्टि उपायुक्त, गुमला से की जा सकती है । अतएव उनके द्वारा चेक उपस्थापन का प्रश्न ही नहीं उठता है । उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला द्वारा जिला उद्यान पदाधिकारी को तकनीकी पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया था । वे योजनाओं पर तकनीकी स्वीकृति एवं प्रगति प्रतिवेदन देने हेतु उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत थे । अतएव उनके द्वारा लेखा पदाधिकारी के अनुशंसा एवं जिला उद्यान पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में द्वितीय किस्त की अनुशंसा एक रूटीन कार्य था, चूँकि अंतिम रूप से भुगतान की स्वीकृति उप विकास आयुक्त के अनुशंसा पर उपायुक्त द्वारा की जानी थी । जहाँ तक अनावश्यक रूप से कुछ अन्य योजनाओं का चयन में अनुशंसा का प्रश्न है, जब निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम अवकाश पर होते थे, तभी संचिका

इनके पास कार्यालय द्वारा भेजी जाती थी, न कि संचिका की उत्पत्ति इनके द्वारा की जाती थी । उल्लेखनीय है कि जिन योजनाओं की संचिका उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, उसे कार्यालय द्वारा उनके पास भेजने का तात्पर्य क्या था, या फिर उप विकास आयुक्त/उपायुक्त द्वारा अनुशंसा टिप्पणी को अमान्य क्यों नहीं किया जाता था ? जहां तक इनकी जानकारी है, योजनाओं का चयन NGO's की बैठक बुलाकर (जिसमें निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, उप विकास आयुक्त अथवा यदा-कदा उपायुक्त भी सम्मिलित रहते थे) और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जाता था ।

आरोप संख्या-03 पर स्पष्टीकरण- श्री राज का कहना है कि इनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन निदेशक राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम की भूमिका सफेद मुसली एवं स्टीबिया के खेती हेतु योजना के चयन एवं प्रथम किस्त विमुक्ति में अहम रही है । तत्कालीन निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम द्वारा योजनाओं के चयन की अनुशंसा उप विकास आयुक्त एवं उपायुक्त को किया गया है । श्री राज द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ संलग्न संचिकाओं की छायाप्रति पृ० सं० 04 एवं 05 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा गया है कि तत्कालीन निदेशक, NEP सीधे योजनाओं पर अनुशंसा की स्वीकृति हेतु पृष्ठांकन उपायुक्त/उप विकास आयुक्त के रूप में किये हैं । श्री राज के द्वारा आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि बिना उप विकास आयुक्त के मंतव्य के ही उपायुक्त महोदया द्वारा योजना की स्वीकृति एवं प्रथम किस्त की राशि विमुक्त की गयी है । श्री राज आगे कहते हैं कि इन सबके बावजूद निदेशक, NEP को न तो पूर्व में और न ही वर्तमान उपायुक्त, गुमला द्वारा आरोपित किया गया है । जबकि दोनों पदाधिकारी समकक्ष पद ADM के पद पर पदस्थापित थे । अतः श्री राज ने प्रस्तुत मामले में आरोपी बनाना न्याय सम्मत नहीं बताया है तथा स्पष्टीकरण में प्रस्तुत किये गये तथ्यों के आलोक में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है । उन्होंने कहा है कि उनकी सेवा निवृत्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक हो चुकी है अतः निदेशक, NEP की भाँति उन्होंने आरोप मुक्त करने का प्रार्थना की है ।

श्री राज से प्राप्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति संलग्न करते हुए उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला को विभागीय पत्रांक-9921, दिनांक 19 नवम्बर, 2015 द्वारा भेजकर अनुशंसा सहित मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के पत्रांक-583(ii)/म०को०, दिनांक 23 जुलाई, 2016 द्वारा उपलब्ध कराया गया मंतव्य निम्नवत् है:-

आरोप संख्या-01 पर मंतव्य- बिना भूमि सत्यापन के योजना की स्वीकृति देने के संबंध में श्री राज द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा स्वयंसेवी संस्था, आदिशक्ति

महिला कल्याण समिति, गुमला को सिसई प्रखण्ड के अन्तर्गत 445.42 एकड़ जमीन पर कुल 4706327.00 रूपये के परियोजना (जेट्रोफा खेती) की स्वीकृति की अनुशंसा अंचलाधिकारी के द्वारा बिना भूमि सत्यापन के की गई तथा 50 प्रतिशत राशि के विमुक्ति की अनुशंसा की गयी है, जैसा कि संचयन सं०-ट, संचिका सं०-73/2007 के टि०पृ० 02 के अवलोकन से स्पष्ट होता है । इसी प्रकार स्वयंसेवी संस्था सुनिता कला निकेतन, पालकोट रोड, गुमला को रायडीह प्रखण्ड के अन्तर्गत 47.39 एकड़ रैयती भूमि पर फलदार पौधा के वृक्षारोपण की परियोजना, कुल लागत 676871.00 लाख रूपये की स्वीकृति एवं 50 प्रतिशत राशि की विमुक्ति की अनुशंसा अंचलाधिकारी के द्वारा बिना भूमि सत्यापन के की गई, जैसा कि संचयन सं०- ट, संचिका सं०-72/2007 के टि०पृ० 01-08 के अवलोकन से स्पष्ट होता है । बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये एवं योजना की जाँच किये राशि विमुक्ति की अनुशंसा करने के संबंध में इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है । संचयन सं०- V, संचिका सं०-32/2007 के टि०पृ० 05-06 पर इनके द्वारा अंकित टिप्पणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि परियोजना में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं होने, प्रगति प्रतिवेदन संलग्न नहीं होने एवं संयुक्त खाता की विवरणी संलग्न नहीं होने के बावजूद इनके द्वारा मेसर्स ब्रह्मानन्द फार्मर्स एण्ड रिसर्च सेन्टर, जमशेदपुर को एक बड़ी राशि 96.125 लाख रूपये के विमुक्ति की अनुशंसा की गयी । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना 1.22 लाख रूपये का चेक उपस्थापित करने के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है, जैसा कि संचयन सं०- V ट, संचिका सं०-41/2007 के टि०पृ० 01-05 के अवलोकन से स्पष्ट है ।

आरोप संख्या-02 पर मंतव्य- संचयन सं०- ट, संचिका सं०-32/07 के टि०पृ० 01-06 के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री बलदेव राज, तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला द्वारा गैर अनुमान्य योजना में बिना विधिवत् जाँच के 96.125 लाख रूपये विमुक्ति की अनुशंसा की गयी है, अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है ।

आरोप संख्या-03 पर मंतव्य- बिना आवंटित कार्य में अनावश्यक रूचि लेने के संबंध में श्री राज द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है । इनके द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम के अवकाश पर होने की स्थिति में संचिकाएँ उनके पास भेजी जाती थी। संचयन सं०- V, संचिका सं०-41/2007 के टि०पृ० 03-05 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 7 जून, 2007 को तत्कालीन निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम के उपस्थित रहते हुए श्री राज द्वारा 1.22 लाख रूपये का चेक हस्ताक्षर हेतु उप विकास आयुक्त को उपस्थापित किया गया। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को जेट्रोफा, फलदार वृक्षारोपण एवं मिश्रित फलदार वृक्षारोपण हेतु एक

बड़ी राशि की विमुक्ति बिना विधिवत् जाँच के स्वीकृति के संबंध में उनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है, जैसा कि संलग्न साक्ष्यों से स्पष्ट है ।

श्री राज के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के मंतव्य की समीक्षा की गई । समीक्षा में इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया । इनके कृत्य से सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ एवं एक निजी संस्था को बड़ी राशि के गबन करने में सहयोग प्रदान किये जाने से सरकारी सेवक आचार संहिता के नियम-3(iii) का उल्लंघन हुआ है ।

समीक्षोपरांत, उक्त प्रमाणित आरोपों एवं कृत्यों के लिए श्री बलदेव राज, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-326/03, गृह जिला-गिरिडीह), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला की सेवा को असंतोषजनक मानते हुए **पेंशन नियमावली के नियम-139(ग) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती अगले दस वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 625--50